



**भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA**

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

25 सितंबर 2026

राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी

निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹22,200 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।

क्र. सं.	राज्य/यूटी	जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़)	अवधि (वर्ष)	नीलामी का प्रकार
1.	असम	800	29 अप्रैल 2026 को जारी 7.83% असम एसजीएस 2046 का पुनर्निर्गम	मूल्य
2.	बिहार	800	8 जुलाई 2026 को जारी 7.42% बिहार एसजीएस 2035 का पुनर्निर्गम	मूल्य
		1200	15 अप्रैल 2026 को जारी 7.92% बिहार एसजीएस 2051 का पुनर्निर्गम	मूल्य
3.	छत्तीसगढ़	250	8 जुलाई 2026 को जारी 7.40% छत्तीसगढ़ एसजीएस 2035 का पुनर्निर्गम	मूल्य
		250	8 जुलाई 2026 को जारी 7.64% छत्तीसगढ़ एसजीएस 2042 का पुनर्निर्गम	मूल्य
4.	हरियाणा	1000	16 सितंबर 2026 को जारी 7.90% हरियाणा एसजीएस 2040 का पुनर्निर्गम	मूल्य
		1500	27 अगस्त 2026 को जारी 7.69% हरियाणा एसजीएस 2048 का पुनर्निर्गम	मूल्य
5.	झारखंड	100	2 सितंबर 2026 को जारी 7.72% झारखंड एसजीएस 2038 का पुनर्निर्गम	मूल्य
		100	2 सितंबर 2026 को जारी 7.72% झारखंड एसजीएस 2042 का पुनर्निर्गम	मूल्य
6.	केरल	800	8 जुलाई 2026 को जारी 7.30% केरल एसजीएस 2033 का पुनर्निर्गम	मूल्य
		1000	8 जुलाई 2026 को जारी 7.56% केरल एसजीएस 2039 का पुनर्निर्गम	मूल्य
7.	मध्य प्रदेश	800	8 जुलाई 2026 को जारी 7.61% मध्य प्रदेश	मूल्य

			एसजीएस 2044 का पुनर्निर्गम	
		700	2 सितंबर 2026 को जारी 7.75% मध्य प्रदेश एसजीएस 2056 का पुनर्निर्गम	मूल्य
8.	सिक्किम	200	4	प्रतिफल
		200	16	प्रतिफल
9.	तमिलनाडु	1000	10	प्रतिफल
		2000	5 अगस्त 2026 को जारी 7.62% तमिलनाडु एसजीएस 2041 का पुनर्निर्गम	मूल्य
		2000	5 अगस्त 2026 को जारी 7.70% तमिलनाडु एसजीएस 2051 का पुनर्निर्गम	मूल्य
10.	उत्तर प्रदेश	500	8 जुलाई 2026 को जारी 7.14% उत्तर प्रदेश एसजीएस 2032 का पुनर्निर्गम	मूल्य
		1000	8 जुलाई 2026 को जारी 7.59% उत्तर प्रदेश एसजीएस 2042 का पुनर्निर्गम	मूल्य
		1000	25	प्रतिफल
11.	उत्तराखंड	300	22 जुलाई 2026 को जारी 7.70% उत्तराखंड एसजीएस 2048 का पुनर्निर्गम	मूल्य
12.	पश्चिम बंगाल	1000	8 जुलाई 2026 को जारी 7.07% पश्चिम बंगाल एसजीएस 2031 का पुनर्निर्गम	मूल्य
		1500	8 जुलाई 2026 को जारी 7.64% पश्चिम बंगाल एसजीएस 2044 का पुनर्निर्गम	मूल्य
		2200	8 जुलाई 2026 को जारी 7.65% पश्चिम बंगाल एसजीएस 2052 का पुनर्निर्गम	मूल्य
	कुल	22200		

यह नीलामी 29 सितंबर 2026 (मंगलवार) को भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली का उपयोग करते हुए आयोजित की जाएगी। प्रत्येक स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के दस प्रतिशत तक सरकारी स्टॉक का आबंटन पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को 'गैर-प्रतिस्पर्धी नीलामी सुविधा' योजना के अनुसार प्रति स्टॉक एकल बोली के लिए उसकी अधिसूचित राशि की अधिकतम एक प्रतिशत की सीमा तक किया जाएगा। व्यक्तिगत निवेशक रिटेल डायरेक्ट पोर्टल (<https://rbiretaildirect.org.in>) के माध्यम से भी गैर-प्रतिस्पर्धी योजना के अनुसार बोली लगा सकते हैं।

इस नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों बोलियाँ 29 सितंबर 2026 (मंगलवार) को भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्रतिस्पर्धी बोलियाँ पूर्वाह्न 10:30 से पूर्वाह्न 11:30 के बीच और गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियाँ पूर्वाह्न 10:30 से पूर्वाह्न 11:00 के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

तकनीकी कठिनाइयाँ होने पर, कोर बैंकिंग परिचालन टीम से संपर्क ([ईमेल](mailto:); फोन नंबर: 022-69870466, 022-69870415) किया जा सकता है।

नीलामी से संबंधित अन्य कठिनाइयों के लिए, आईडीएमडी नीलामी टीम से संपर्क ([ईमेल](#); फोन नंबर: 022-22702431, 022-22705125) किया जा सकता है।

केवल प्रणाली की विफलता की स्थिति में, भौतिक बोलियां स्वीकार की जाएंगी। ऐसी भौतिक बोलियों को लोक ऋण कार्यालय ([ईमेल](#); फोन नंबर: 022-22603456, 022-22603457, 022-22603190) को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewForms.aspx) से प्राप्त निर्धारित फॉर्म में नीलामी समय समाप्त होने से पहले जमा किया जाना चाहिए।

बोली लगाने वालों द्वारा प्रत्याशित वार्षिक प्रतिफल प्रतिशत या मूल्य जैसा भी मामला हो, दो दशमलव अंकों तक प्रस्तुत किया जाए। एक निवेशक प्रतिफल या मूल्य के समान / विभिन्न दरों पर एक से अधिक प्रतिस्पर्धी बोलियां भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्रस्तुत कर सकता है। तथापि, बोली लगाने वाले द्वारा प्रस्तुत की गई बोलियों की सकल राशि प्रत्येक राज्य के लिए अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकतम प्रतिफल/न्यूनतम मूल्य निर्धारित करेगा जिस पर बोलियां स्वीकृत की जाएंगी। प्रतिभूतियां ₹10,000.00 की न्यूनतम सांकेतिक राशि तथा उसके बाद ₹10,000.00 के गुणजों में जारी की जाएंगी।

इस नीलामी के परिणाम **29 सितंबर 2026 (मंगलवार)** को घोषित किए जाएंगे और सफल बोली लगाने वालों को भारतीय रिज़र्व बैंक के मुंबई तथा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में **30 सितंबर 2026 (बुधवार)** को बैंकिंग कामकाज के समय भुगतान करना होगा।

नीलामियों में सभी नए राज्य सरकारी स्टॉकों पर ब्याज, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर लागू होगा। नई प्रतिभूतियों के लिए ब्याज का भुगतान परिपक्वता तक प्रत्येक वर्ष **30 मार्च** और **30 सितंबर** को छमाही आधार पर किया जाएगा। पुनर्निर्गमित सरकारी स्टॉक के लिए, ब्याज का भुगतान सरकारी स्टॉक के जारी होने की मूल तारीख पर निर्धारित दर पर किया जाएगा और परिपक्वता तक अर्धवार्षिक आधार पर भुगतान किया जाएगा। ये स्टॉक सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियमन, 2007 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होंगे।

राज्य सरकार स्टॉक में निवेश को बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 के अंतर्गत सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के प्रयोजन के लिए बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में पात्र निवेश के रूप में गिना जाएगा। ये स्टॉक हाजिर वायदा सुविधा के लिए पात्र होंगे।